

फर्द अहकाम

अतिरिक्त कलक्टर नाम न्यायालय (तृतीय) जयपुर
 केस संख्या 74/2018

गोदावरी बनाम सचिव भूदाता

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	19-10-22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा कंडोलेण्ड करने/कार्य स्थापित करने के कारण पत्रावली पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27-11-22 को पेश की गई।
	27-11-22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा कंडोलेण्ड करने/कार्य स्थापित करने के कारण पत्रावली पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16-11-22 को पेश की गई।
	16-11-22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा कंडोलेण्ड करने/कार्य स्थापित करने के कारण पत्रावली पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7-12-22 को पेश की गई।
	7-12-22	पत्रावली पेश हुई। अपीलकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं का आदेश द्वारा जिला जज को वॉल्यूट डाम से अपीलकर्ता अधिन 340 की अर्ज के अंतर्गत पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलकर्ता अधिवक्ता को सिद्धे लार्ज सफ से नोटिस पेश करके का प्रस्ताव दिनांक 15-11-21 से अपीलकर्ता अधिन द्वारा नोटिस पेश नहीं किए गए थे। साथ ही आदेश अपीलकर्ता आज भी अनुपस्थित रहे। अतः पत्रावली-अपील अदम राजरी अदम परबी एवं सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश अधिन 5 के अंतर्गत अपीलकर्ता भी जारी है। पत्रावली फौजल शुकाट हेकर दर्त नम्बर से कम होकर दापिलदफ्तारी

32
 अतिरिक्त कलक्टर
 (तृतीय) जयपुर